



2026:AHC:17379

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 900 वर्ष 2026

राजेश कुमार वर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : भीम सेन पांडे, कार्तिकेय पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस. पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की बात सुनी।
2. निर्देशों के अनुसार, श्री राहुल मालवीय ने यह बयान दिया है कि वे प्रकरण पर बहस करने में सक्षम हैं और वे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका पर उपस्थित दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाए। पक्षों की सहमति से याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनकी नियुक्ति 09.01.2009 को मेट के पद पर हुई थी। 08.12.2008 के शासकीय आदेश के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना में वेतन बैंड और ग्रेड 01.01.2006 से प्रभावी रूप से संशोधित किए गए थे। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता को लाभ दिया गया और 24.12.2009 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें 5830 रुपये का वेतन बैंड और 1900 रुपये का ग्रेड वेतन निर्धारित किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को समय-समय पर कुछ लाभ दिए गए, हालांकि कार्यकारी अभियंता, बेतवा नहर प्रखंड द्वितीय, ओराई, जालौन द्वारा पारित दिनांक 29.09.2025 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिया गया 1900 रुपये का ग्रेड वेतन देय नहीं माना गया और इसके संबंध में परिणामी आदेश पारित किए गए।
4. दिनांक 29.09.2025 के आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का प्रकरण नहीं है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि नियोक्ता के लिए त्रुटियों को सुधारना हमेशा संभव है, हालांकि, यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता को सूचना दिया गया था क्योंकि यह आदेश से स्पष्ट नहीं है और इसके अलावा यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का प्रकरण है।

7. मैंने बार में दिए गए इस प्रकार के निवेदन को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. तथ्य विवाद का विषय नहीं है। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता को कुछ लाभ दिए गए थे, जिन्हें आक्षेपित आदेश के कारण वापस नहीं लिया गया है। आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को इस बारे में सूचित किया गया था या यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का प्रकरण है। **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154** में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित था, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से 1991 में 100 रुपये प्रति माह से घटकर 181 रुपये प्रति माह हो गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दीवानी परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दी गई और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई के भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता का सिद्धांत यह कहता है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को दीवानी परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को सूचित किए बिना और उसे प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दिनांक 25.7.1991 का आदेश (जापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में



विफल रहा। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और दिनांक 17.9.1993 के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के साथ-साथ दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (ज्ञापन) को भी रद्द करते हैं, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी और जिसमें अपीलकर्ता के मूल वेतन को कम किया गया था। 18.12.1970 से प्रभावी, 190 रुपये से घटकर 181 रुपये हो गया।“

9. तदनुसार, चुनौती दिए गए आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

(क) कार्यकारी अभियंता, बेतवा नहर प्रखंड द्वितीय, ओराई, जालौन द्वारा दिनांक 29.09.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है; (ख) प्रकरण को प्राधिकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

10. पूर्व टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

27 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)